



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102022-239434
CG-DL-E-07102022-239434

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 683]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 7, 2022/आश्विन 15, 1944

No. 683]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 7, 2022/ASVINA 15, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2022

सा.का.नि. 769(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 285खक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (तेँतीसवां शोधन) नियम, 2022 है।
(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- आय-कर नियम, 1962 के नियम 114च के उपनियम (5) में,—
(अ) खंड (झ), खंड (ञ) और खंड (ट) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-
“(झ) यू.एस में रिपोर्टेबल किसी खाते की दशा में, स्थानीय मुवक्किल आधार के साथ वित्तीय संस्था;
(ञ) यू.एस में रिपोर्टेबल किसी खाते की दशा में, स्थानीय बैंक
(ट) यू.एस में रिपोर्टेबल किसी खाते की दशा में, केवल न्यून मूल्य खाते वाली वित्तीय संस्था;”;
(ख) स्पष्टीकरण के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-
“संधि अर्हित सेवानिवृत्ति निधि” से भारत में स्थापित कोई निधि अभिप्रेत है:

परंतु यह कि ऐसी निधि, भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के मध्य करार के अधीन उस आय के जो उसे निवासी भारतीय जो फायदे की अपेक्षाओं पर प्रयोज्य किसी परिसीमा को पूरा करता है के रूप में संयुक्त राज्य अमरीका के भीतर स्रोतों से व्युत्पन्न होती है फायदे के लिए हकदार है (या वह ऐसे फायदे के लिए हकदार होता यदि फायदा ऐसी किसी आय से व्युत्पन्न होता), और जिसका मुख्य रूप से पेंशन या सेवानिवृति फायदे प्रशासित या प्रदत्त करने के लिए प्रचालन किया जाता है।”

[अधिसूचना सं. 112/2022/फा. सं. 370142/43/2022-टीपीएल (भाग 2)]

उम्मे फरदीना आदिल, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. सं. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 733(अ), तारीख 28.09.2022 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2022

G.S.R. 769(E).—In exercise of the powers conferred by section 285BA read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Income-tax (Thirty Third Amendment) Rules, 2022.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Income-tax Rules, 1962, in rule 114F, in sub-rule (5),—
(A) for clauses (i), (j) and (k), the following shall be substituted, namely: —
“(i) a financial institution with a local client base, in case of any U.S. reportable account;
(j) a local bank, in case of any U.S. reportable account;
(k) a financial institution with only low value accounts, in case of any U.S. reportable account;”
(B) in the *Explanation*, in clause (D) for the words and brackets “the Government of any country or territory outside India on income that it derives from sources within such country or territory outside India (or would be entitled to such benefits if it derived any such income)” the words and brackets “the United States of America on income that it derives from sources within the United States of America (or would be entitled to such benefits if it derived any such income)” shall be substituted.

[Notification No.112/2022/F. No. 370142/43/2022-TPL (Part 2)]

UMME FARDINA ADIL, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended by the Income-tax (32nd Amendment) Rules *vide* notification number G.S.R. 733 (E) dated 28.09.2022.